कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री निदेशक होम्योपैथिक ,उ0प्र0,8वॉ तल,इन्दिरा भवन, लखनऊ।**

प्रा0प0सं0- **314/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्रीमती सन्तोष अग्रवाल।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>

।- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 27-06-08 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है:-

1- क्या धनराशि का अन्तरण वर्क कान्ट्रैक्ट की श्रेणी में आता है अथवा नहीं ,यदि आता है, तो श्रोत पर व्यापार कर की कितने प्रतिशत की कटौती की जाती है ?

2- वैट अधिनियम के अन्तर्गत उक्त प्रकिया के अन्तर्गत निर्माण कार्य पर श्रोत पर वैट की कटौती की जानी है अथवा नहीं । यदि हॉ तो कितने प्रतिशत की दर से कटौती की जाती है ?

3- वैट की कटौती हेतु वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना जाना अनिवार्य है ?

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-196 दिनांक 14-7-2008 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसका अवलोकन किया गया।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्रीमती सन्तोष अग्रवाल उपस्थित हुई तथा उनसे उनके विभाग तथा कान्ट्रेक्टर के मध्य हुये कान्ट्रेक्ट की कापी मांगी गयी जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा बताया गया कि उनका कालेज केवल फन्ड का ट्रांन्सफर करता है तथा उनके विभाग निर्माण करने वाली संस्था से कोई कान्ट्रेक्ट नहीं है।

4- मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,प्राप्त आख्या,तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया । संस्था द्वारा मेरे समक्ष वर्क कान्ट्रेक्ट की कापी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके अभाव में प्रार्थी द्वारा उठाये गये उपरोक्त तीनो प्रश्नो का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। व्यापारी द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह वैट अधिनियम की धारा धारा-59 (I) a,b,c,d,e के अन्तर्गत नहीं आते है । अतः चूंकि व्यापारी का प्रार्थना पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण धारा-59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को ,एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैब साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 21,जुलाई,2009

ह0 21.7.09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

21/7/09